संख्या-03/2017/148/29-7-2017

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2017

विषय:-मिट्टी के तेल के वितरण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल, मई व जून के उपयोग हेतु मिट्टी के तेल का जनपदवार आवंटन शासनादेश संख्या-02/2017/121/29-7-2017-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक त्रैमास में शासन स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु अधिकांश जनपदों से मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अत: प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाय ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 के ई-मेल-**foodsec07@gmail.com** पर उक्त निर्धारित प्रारूप में कम्पनीवार मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- समस्त उपायुक्त खाद्य, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित प्रारूप पर कम्पनीवार मिट्टी के तेल का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आगामी माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in